न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00140 (Bank Case)
Manual no- 39/2020

इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम–62–63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस नई दिल्ली–110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि रवि चौबे

–– प्रार्थी

बनाम

1. बुद्विप्रकाश शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा
   पता– (1) 587–ए, आर के पुरम, कोटा (2) 2 बी 12, महावीर नगर, विस्तार योजना, वार्ड नम्बर–4, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (3) 178 लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास, देहीखेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बूंदी (4) मैसर्स भारत सेल्स कॉरपोरेशन जरिये प्रोपराईटर– बुद्विप्रकाश शर्मा पता– बी 76, भामाशाह कृषि उपज मण्डी अनन्तपुरा तहसील लाडपुरा कोटा ।
2. आरती बाई पत्नि बुद्विप्रकाश शर्मा
   पता– (1) 587–ए, आर के पुरम, कोटा
   (2) 2बी12, महावीर नगर, विस्तार योजना, वार्ड नम्बर–4, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (3) 178 लक्ष्मीनाथ मन्दिर के पास, देहीखेडा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बूंदी

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 26.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम–62–63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस नई दिल्ली–110001 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.07.2012 को 27,30,985/– (अक्षरेः सत्ताईस लाख, तीस हजार, नौ सौ पिच्यांसी मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति शॉप कम गोडाउन कम प्लेटफार्म नम्बर–बी 76, ब्लॉक नम्बर–बी, भामाशाह कृषि उपज मण्डी अनन्तपुरा, कोटा जिसका पट्टा विलेख दिनांक 27.03.2010 को अप्रार्थी बुद्विप्रकाश शर्मा के पक्ष में सम्पादित किया गया है** । को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 23.03.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 19,94,505/– (अक्षरेः उन्नीस लाख, चौरानवें हजार पांच सौ पांच मात्र)

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

बकाया रकम दिनांक 15.11.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 16.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में व अंग्रेजी समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 02.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 16.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में व अंग्रेजी समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 02.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 16.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में व अंग्रेजी समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 02.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति शॉप कम गोडाउन कम प्लेटफार्म नम्बर–बी 76, ब्लॉक नम्बर–बी, भामाशाह कृषि उपज मण्डी अनन्तपुरा, कोटा जिसका पट्टा विलेख दिनांक 27.03.2010 को अप्रार्थी बुद्विप्रकाश शर्मा के पक्ष में सम्पादित किया गया है ।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner